FROM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 30)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

वादी—
केवल राम

बनाम

प्रतिवादीगण:—
शौकतअली अंसारी वगै.

अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

मूल वाद संख्या:— 30 / 2024
सीसीएमएस नंबर:— 2024 / 107

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/8/24	पत्रावली पेश हुई। इस आदेशिका द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता श्री भीखाराम विश्नोई एवं अधिवक्ता अपीलांट श्री रोशन लाल उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्राथी / आवेदक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादी वादग्रस्त भूमि ग्राम बनाड़ तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 111 व 129 का खातेदार नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर प्रार्थना पत्र सं. 29 / 2019 के निर्णय दिनांक 12.10.2021 के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार ओमप्रकाश का नाम जमाबंदी में से विलोपित कर उक्त भूमि को रकबा राज घोषित किए जाने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस प्रकरण सं. 2021 / 5933 सरकार बनाम ओमप्रकाश विचाराधीन है। प्रार्थीया / आवेदक श्रीमती ओमकंवर, ग्राम बनाड़ तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 173 की योजना सिद्धार्थ नगर योजना में स्थित गैर रूपांतरित भू—खण्ड सं. 26 की रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने भूमि खसरा सं. 173 को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित कर अलग—अलग लोगों को बेचान कर दी है, जिसकी जानकारी वादी को भली—भांति होते हुए भी वादी ने जानबूझकर प्रार्थीया / आवेदक व अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है तथा न्यायालय को गुमराह कर वाद डिक्री करने पर उतारू है, जिसकी आड़ में वादी प्रार्थीया को भूखण्ड से बेदखल करना चाहते हैं। इस वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र में पारित आदेश से प्रार्थीया के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जवाब में अपील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के कथनों को खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्षकारान् पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह दर्शित होता है कि प्रार्थीया पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 01.09.2023 के मुताबिक आराजी खसरा सं. 173 ग्राम बनाड़ के भूखण्ड सं. 26—ए की खरीददार है। इसलिए	

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/8/24	प्रार्थीया हस्तगत वाद में हितबद्ध पक्षकार है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया/आवेदक को बतौर प्रतिवादी सं. 5 संयोजित किया जाता है। आइंदा पेशी पर अधिवक्ता वादी संशोधित वाद शीर्षक पेश करें। पत्रावली दिनांक 19/9/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	